09.10.23 राज्य द्वारा एडीपीओ श्री सुनील नागा उपस्थित।

अभियुक्त रामकुमार सह श्री धर्मेन्द्र दुबे अधिवक्ता।

प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट महोदय जिला रायसेन के आदेश क्र0 858 दिनांक 21.09.23 द्वारा न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी श्रीमती हर्षिता सिंगार के न्यायालय से अंतरण पर प्राप्त हुआ है।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बरेली जिला रायसेन म.प्र.के बी.ए.नंबर 241/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.09.23 के पालन में आदेशानुसार अभियुक्त **रामकुमार** द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश के पालन में **राशि 63,240/—रूपये आनलाईन चालान क्र0 51/9999999/0070/10/23/011234 से जमा** की गई की है जिसकी रसीद अभियुक्त द्वारा आज दिनांक को पेश की गई हैं।

अभियुक्त को स्वतंत्र किया गया।

इस विविध प्रकरण में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के लंबित रहने के दौरान अन्य कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को दिये गये दण्डादेश का कियान्वयन स्थगित किया गया है जिसके चलते इस विविध प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अतः प्रकरण का परिणाम विविध अपराधिक पंजी एवं सीआईएस में दर्ज कर प्रकरण मूल अभिलेख आपराधिक प्रकरण **एससीएनआईए कमांक 110/2017 यूको बैंक वि0 रामकुमार** के साथ संलग्न किये जाने हेतु अभिलेखागार बरेली भेजी जावे।

रामकुमार

(जय कुमार जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरेली, जिला रायसेन म0प्र0